**<u>न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1, बून्दी (राजस्थान)</u>**

पीठासीन अधिकारी : **विवेक शर्मा**

(जिला न्यायाधीध संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र सं0 : **117 / 2026**

(अभियोग संख्या–07 / 2026 अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2) बी.एन.एस., पुलिस थाना कोतवाली, जिला–बून्दी)
शब्बीर पुत्र जमील, आयु 38 वर्ष,
निवासी–अम्बेडकर कॉलोनी, उंदालियां की डूंगरी, बून्दी,
पुलिस थाना–कोतवाली, जिला बून्दी (राजस्थान) **–प्रार्थी / अभियुक्त**

**<u>विरूद्ध</u>**

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, बून्दी

**<u>जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं.</u>**

<u>उपस्थित :–</u>

(1) श्री एजाज रिजवी, अधिवक्ता–प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से
(2) अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से

**<u>आ दे श</u>** **<u>दिनांक : 17.03.2026</u>**

1. प्रार्थी / अभियुक्त शब्बीर की ओर से यह जमानत का द्वितीय आवेदन –पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी के न्यायालय में पेश किया गया, जो सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जो पुलिस थाना, कोतवाली, बून्दी के अभियोग संख्या 07 / 2026 अपराध अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2) बी.एन.एस.,से सम्बद्ध है।

2. प्रार्थी / अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है, उसकी ओर से प्रस्तुत धारा 480 बी.एन.एस.एस. के अधीन जमानत आवेदन पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी द्वारा दिनांक 12.03.2026 को एवम् इस न्यायालय द्वारा भी उक्त प्रार्थी / अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2026 को खारिज किया जा चुका है।

3. प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई तथा उभय पक्ष को सुना गया एवम् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

4. अभियोजन कहानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.01. 2026 को परिवादी अजीत कुमार उत्तम ने पुलिस थाना, कोतवाली, बून्दी में एक

तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि वह शाखा प्रबन्धक, इण्डियन बैंक, सब्जी मण्डी रोड, मैन मार्केट, बून्दी में पदस्थापित है। बैंक परिसर में कुल 5 ए.सी. लगे हुए है, जिनमें से 2 ए.सी. 2 टन के, 2 ए.सी. 1 टन का एवम् 1 ए.सी. 1.5 टन का जिनके आउटर युनिट, बैंक की छत पर लगे हुए है। दिनांक 05.12.2025 को बैंक स्टॉफ जितेन्द्र टेलर, ब्रान्च आ रहे थे तो उनकी नजर छत पर पडी तो देखा किछत पर ए.सी. के आउटर नजर नहीं आ रहे है, उसने उससे आकर कहा तो उन्होंने छत पर जाकर देखा तो पता चला कि छत पर वायर एवं पाईप कटे हुए है और आउटर युनिट छत पर नहीं है, इत्यादि।

5. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर उक्त अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आवश्यक सम्पूर्ण अनुसंधान के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त शब्बीर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 317(2) भा.दं.सं. के तहत आरोप पत्र विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। जहां उक्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया तथा वर्तमान में उक्त प्रकरण बहस चार्ज के स्तर पर लम्बित चल रहा है।

6. दौराने बहस प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस थाना कोतवाली बून्दी द्वारा दिनांक 18.02.2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उसे दो योम का पी.सी. दिया गया तत्पश्चात् दिनांक 21.02.2026 को अवकाशकालीन न्यायालय के समक्ष पेश करने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया, तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी का उक्त अपराध से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी को झूंठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। प्रार्थी नेक चाल–चलन वाला एवं कानून का सम्मान करने वाला व्यक्ति है। प्रार्थी की अब पुलिस को कोई आवश्यकता नहीं है, न ही कोई बरामदगी करना शेष है। प्रार्थी की चल अचल सम्पत्ति बून्दी में होने से उसके फरार होने अथवा गवाहान को टेम्परविद किये जाने का कोई आरोप नहीं है। प्रार्थी उंदालिया की डूंगरी, बून्दी का स्थायी निवासी है, जहां से उसके अन्यत्र पलायन की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थी परिवार में अकेला कमाने वाला है, उसके जेल में रहने से उसके परिवार के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। प्रकरण के विचारण में काफी समय लगने की सम्भावना है। प्रार्थी पर मात्र धारा 317(2) बी.एन.एस. का आरोप है, जिसमें अधिकतम 3 वर्ष के कारावास की सजा का

प्रावधान है जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। जमानत देते समय न्यायालय को अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड बाधा नहीं बनता है। प्रार्थी आदेशानुसार जमानत मुचलके प्रस्तुत करने को तैयार हैं। प्रार्थी का इस न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.03.2026 को खारिज फरमा दिया गया है।इसके पश्चात् पुलिस थाना कोतवाली बून्दी द्वारा दिनांक 11.03.2026 को चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। चालान प्रस्तुत होने के पश्चात् यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया।

7. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त आदतन अपराधी है, जिसके विरूद्ध पूर्व में भी कई तरह के प्रकरण दर्ज है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व में भी इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है एवम् प्रकरण में चालान प्रस्तुत हो जाने मात्र के आधार पर अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो जाता है। अतएव प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त **शब्बीर** की आपराधिक पृष्ठभूमि निम्न प्रकार हैः–

| क्र.सं. | मु. न. | धारा | चार्जशीट | नाम थाना | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/06 | 451,341,323,147,149 भा.द.सं. | 350/04.12.06 | कोतवाली,बून्दी | दोषसिद्ध व जरिये राजीनामा दोषमुक्त |
| 2 | 282/07 | 341,323,34 भा.द.सं. | 223/30.09.07 | कोतवाली,बून्दी | राजीनामा दोषमुक्त |
| 3 | 423/07 | 325,323,34 भा.द.सं. | 300/30.11.07 | कोतवाली,बून्दी | राजीनामा दोषमुक्त |
| 4 | 350/09 | 147,148,323,324,307भा.दं.सं. | 323/21.11.09 | कोतवाली,बून्दी | जरिये राजीनामा दोषमुक्त |
| 5 | 129/11 | 341,323,325,308 भा.द.सं. | 93/30.03.11 | कोतवाली,बून्दी | राजीनामा/साक्ष्य अभाव दोषमुक्त |
| 6 | 284/14 | 143,384 भा.द.सं. व धारा 7 व 8 पोक्सो एक्ट | 241/17.07.14 | कोतवाली,बून्दी | दोषमुक्त |
| 7 | 536/14 | 308,341,323,325,147,148, 149 भा.दं.सं. | 40/28.02.15 | कोतवाली,बून्दी | राजीनामा दोषमुक्त |
| 8 | 95/22 | 147,148,149,341,323,325, 307 भा.द.सं. | 137/14.06.22 | कोतवाली,बून्दी | पैण्डिंग कोर्ट |

8. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया व अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध मुलजिमान सोनू डागर, रवि बोयत तथा सूरज उर्फ चुन्डी से उनके द्वारा चुराये गये ए.सी. के दो पंखे (आउटर यूनिट) खरीदना स्वीकार करते हुए उक्त वांछित माल मसरूका ए.सी. के दो पंखे (आउटर यूनिट) प्रार्थी/अभियुक्त शब्बीर की सूचना के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के रिहायशी मकान से बरामद किये जाने के सम्बन्ध में धारा 317(2) बी.एन.एस. का आरोप विद्यमान है तथा प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2026 को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जा चुका है, हालांकितत्पश्चात् प्रकरण मेंप्रार्थी/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 11.03.2026 को आरोप पत्र पेश किया जा चुका है, परन्तु आरोप पत्र पेश हो जाने मात्र से प्रकरण की परिस्थितियों में ऐसा कोई परिवर्तन होना प्रकट नहीं होता है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का हकदार हो जाता है।

9. अतः विद्वान अपर लोक अभियोजक के तर्को के सापेक्ष प्रार्थी/अभियुक्त के पूर्ववृत्त एवम् प्रकरण की उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत मामले की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर अन्य कोई मत व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदत्त किया जाना उचित नहीं होने से यह जमानत आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

10. फलतः प्रार्थी/अभियुक्त शब्बीर की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह द्वितीय आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(विवेक शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
संख्या–1,बून्दी(राजस्थान)

11. आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

SHOEB AHMED KHAN
Steno Gr.I
"Authenticate document"
Digitally signed by SHOEB AHMED KHAN
Date: 2026.03.25 17:46:50 +0530

अपर सेशन न्यायाधीश,
संख्या–1,बून्दी(राजस्थान)